—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 2 / 2022

उनवान

1. रामलाल
2. रामचन्द्र,
3. सुखदेव पि0 नंगा जाति जाट नि0 भटियानी, नसीराबाद

——— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

1. मधु देवी पत्नी कैलाशचन्द, नि0 तबीजी, अजमेर,
2. काना पुत्र श्योचन्द जाति जाट नि0 भटियानी, नसीराबाद,
3. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया, नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री राम सिंह रावत
3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 3.1.23

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कि ग्राम व प0 म0 भटियानी तहसील नसीराबाद में स्थित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है : —

वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
82	14—17—02	89	0.50
		90	0.30
		91	1.60

आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 82 रकबा 14—17—0 प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण वंर्किग नक्शे अनुसार [illegible] वर्तमान मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 89, 90, 91 में प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 89, 90, 91 में हाल खसरा नम्बर 4780 / 74 व 76 की गलत [illegible] राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 4780 / 74 व 76 को हटाकर सही [illegible] तथा राजस्व मानचित्र में दुरुस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:00:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग नक्शा अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 89, 90, 91 में खसरा नम्बर 4780/74 व 76 की गलत तरमीम कर दी गयी लिये दुरूस्त किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोदई एतराज नही है। राज0 पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम व प0म0 भटियानी तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 89, 90 व 91 की आराजी प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 82 है। वंर्किग मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 81 के लम्बवत था हाल खसरा नम्बर 4780/74 व 76 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खाते में दर्ज है। जिसके वंर्किग खसरा नम्बर 76 बने है। पूर्व वंर्किग मानचित्र व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 89, 90 व 91 की आराजी में गलत व त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरा नम्बर 4780/74 व 76 अंकित कर दिया है जबकि खसरा नम्बर 76 व 4780/74 को वंर्किग खसरा नम्बर 76 के अनुसार ही दर्ज करना चाहिये था। हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का रकबा मानचित्र में कम हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में उक्त त्रुटि दुरूस्त करने में सहमती दी है। हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है जिसे दुरूस्त करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। राज0 पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद होती है। हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।**

अतः ग्राम भटियानी की वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। हाल राजस्व मानचित्र में ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 89, 90, 91 व 4780/74 एवं 76 के हाल व पूर्व राजस्व मानचित्र में पायी गयी त्रुटी को दुरूस्त किया जावे। हाल खसरा नम्बर 89, 90 व 91 को वंर्किग खसरा नम्बर 82 के अनुसार राजस्व मानचित्र में अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:00:10 IST
Reason: SelfAttested